	आपत्तिकर्ता [illegible]	आपत्ति	[illegible]
	सुरेन्द्र पांचाल [illegible] कालोनी, नजदीक [illegible] हस्पताल, समालखा जिला पानीपत।	1. वार्ड नं0 [illegible] प्रस्तावित वार्ड [illegible] बहुत ही [illegible] तरीके एवं किसी व्यक्ति विशेष को [illegible] फायदा पहुंचाने [illegible] लिए की गई है।	1. [illegible] की कमेटी द्वारा [illegible] उपरान्त नियमानुसार वार्डबंदी की गई है। औसत जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर हिदायतों अनुसार की गई है। अतः आपत्तिकर्ता द्वारा दी गई आपत्ति निराधार है। भापरा के आबादी के आंकड़े औसत से ज्यादा बनते हैं।
		2. प्रस्तावित वार्ड नं0–3 में शास्त्री नगर बाल्मीकि बस्ती व कुछ कालोनियां तो जायज हैं क्योंकि इन सभी कालोनियों में सभी मतदाता बाहर से आए हैं।	
		3. प्रस्तावित वार्ड नं0–3 में गांव भापरा का कुछ भाग शामिल किया गया है जो कि गांव वालों के लिए भी और वार्ड की कालोनियों के लिए भी गलत है, क्योंकि आपस में दोनों का सामजंस्य नहीं बैठ पाता।	
		4. प्रस्तावित वार्ड नं0–3 में गांव भापरा की जगह यदि पंचवटी कालोनी का पूरा भाग, आदर्श नगर का पूरा भाग शामिल कर लिया जाना उचित बनता है।	
		5. भापरा गांव का पूरा एक वार्ड बनाकर प्रस्तावित वार्ड नं0–3 से हटाया जाए जो जनहित में होगा।	
2.	सुरेष कुमार सुपुत्र श्री षिवनाथ एवं समस्त दुर्गा कालोनीवासी।	मैं सुरेष कुमार सुपुत्र श्री षिवनाथ निवासी वार्ड नं0–6, दुर्गा कालोनी समालखा का रहने वाला हूं और अब सन् 2015 में जो वार्डबंदी की गई है उसमें मेरा वार्ड 5 कर दिया गया है जिसकी मुझे आपत्ति है। क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां से वार्ड नं0–5 का पोलिंग बूथ बहुत दूर पड़ता है और इसमें जी0टी0 रोड भी बीचं में आता है जिसकी वजह सें जान का खतरा बना रहता है। अतः मेरा निवेदन है कि मेरा वार्ड नं0–6 ही रखा जाए जिससे हमें वोट डालने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा तथा आसानी से हम सभी वोट डाल पाएंगे।	2. वार्डबंदी का कार्य प्रत्येक ब्लाक की आबादी के आंकड़े एकत्रित करके औसत जनसंख्या के आधार पर की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित वार्ड नं0–5 को वार्ड नं0–6 ही रखने व जी0टी0 रोड को जान का खतरा की वजह बताना निराधार है। वार्डबंदी के लिए मनोनीत सदस्यों की कमेटी द्वारा लिए गए नियमानुसार व निर्णय अनुसार ही वार्डबंदी की गई तथा प्रार्थी की आपत्ति निराधार है।
3.	समस्त वार्ड नं0–11 निवासी	1. वार्ड को बेवजह बड़ा बनाया गया है। 2. वार्ड की बनावट बेढंगी है। 3. समालखा नगरपालिका में पंजाबी समुदाय से एक पार्शद बनता था नए वार्डबंदी से ऐसा लगता है जैसे पंजाबी समुदाय के जन प्रतिनिधि बनने से रोकने के लिए प्रयास किया गया है। 4. अगर वार्ड को कुछ बड़ा ही करना है तो बाग वाला मौहल्ला व समाज सेवा समिति रोड को हटाकर रघुनाथ मंदिर के पिछे वाला मौहल्ला जहां पंजाबी समुदाय के व्यक्ति निवास करते हैं इस क्षेत्र [illegible] श्रीमान जी आप इस तरह वार्डबंदी	3. वार्ड नं0–11 की वार्डबंदी औसत जनसंख्या के आंकड़ो के आधार पर की गई है जो औसत ही बनती है तथा अधिक नहीं है। वार्डबंदी कार्य प्रत्येक ब्लाक के आंकड़ो को एकत्रित करके [illegible] सदस्यों की मनोनीत कमेटी द्वारा नियमानुसार वार्डबंदी की गई है। अतः प्रार्थी की आपत्ति निराधार है।

that along with this Road front point of Biholi Road and alongwith Junction of

- 110 -

		करते हैं तो ... किसी एक व्यक्ति को नग... अवसर मिलेगा श्रीमान जी अगर ... वार्ड बन्दी की ... कार्यवाही नहीं की गई तो 2015 से 20... तक के कार्यकाल में कोई भी पंजाबी समुदाय से पंजाबी प्रतिनिधि नहीं बन पाएगा।	... आई गई सभी आपत्तियों का ... दाखिल किया जाना उचित ... है।

सचिव
नगर पालिका, समालखा।

कार्यालय नगर पालिका, समालखा

क्रम संख्या	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति	कार्यालय की टिप्पणी
1.	सुरेन्द्र पांचाल शास्त्री कालोनी, नजदीक सिविल हस्पताल, समालखा, जिला पानीपत।	1. वार्ड नं0 4 प्रस्तावित वार्ड–3 की वार्ड बन्दी बहुत ही गलत तरीके एवं किसी व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए की गई है।	1. आपत्तिकर्ता द्वारा की गई आपत्ति का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया गया हैं। वार्डबंदी कार्य में किसी व्यक्ति विशेष को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया है बल्कि बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर ही कार्य हुआ। अतः शिकायत निराधार है।
		2. प्रस्तावित वार्ड नं0–3 में शास्त्री नगर बाल्मीकि बस्ती व कुछ कालोनियां तो जायज हैं क्योंकि इन सभी कालोनियों में सभी मतदाता बाहर से आए हैं।	2. आपत्तिकर्ता द्वारा दी गई आपत्ति तथ्यों पर आधारित ना हैं जबकि स्वयं आपत्तिकर्ता द्वारा कुछ कालोनियों को जायज बताया है। जबकि वार्डो का विभाजन जनसंख्या के आकंड़ो के आधार पर ही किया गया है। अतः शिकायत निराधार है।
		3. प्रस्तावित वार्ड नं0–3 में गांव भापरा का कुछ भाग शामिल किया गया है जो कि गांव वालों के लिए भी और वार्ड की कालोनियों के लिए भी गलत है, क्योंकि आपस में दोनों का सामजंस्य नहीं बैठ पाता।	3. वार्डो का विभाजन जनसंख्या के न्यूनतम व अधिकतम आकंड़ो व नियम के अनुसार किया गया है। अतः शिकायत निराधार है।
		4. प्रस्तावित वार्ड नं0–3 में गांव भापरा की जगह यदि पंचवटी कालोनी का पूरा भाग, आदर्श नगर का पूरा भाग शामिल कर लिया जाना उचित बनता है।	4. वार्डो का विभाजन करते समय दिशा अनुसार 1 वार्ड से आगे बढ़ते हुए साथ लगते ब्लॉको अनुसार वार्ड विभाजन किया गया है। अतः शिकायत निराधार है।
		5. भापरा गांव का पूरा एक वार्ड बनाकर प्रस्तावित वार्ड नं0–3 से हटाया जाए जो जनहित में होगा।	5. भापरा गावं का एक वार्ड जनसंख्या व न्यूनतम नियम के आधार पर 1 वार्ड बनाया जाना संभव नहीं है। अतः शिकायत निराधार है।

	सुरेश कुमार सुपुत्र श्री शिवनाथ एवं समस्त दुर्गा कालोनीवासी।	मैं सुरेश कुमार सुपुत्र श्री शिवनाथ निवासी वार्ड नं0–6, दुर्गा कालोनी समालखा का रहने वाला हूं और अब सन् 2015 में जो वार्डबंदी की गई है उसमें मेरा वार्ड 5 कर दिया गया है जिसकी मुझे आपत्ति है। क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां से वार्ड नं0–5 का पोलिंग बूथ बहुत दूर पड़ता है और इसमें जी0टी0 रोड भी बीच में आता है जिसकी वजह से जान का खतरा बना रहता है। अतः मेरा निवेदन है कि मेरा वार्ड नं0–6 ही रखा जाए जिससे हमें वोट डालने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा तथा आसानी से हम सभी वोट डाल पांएगे।	2. वार्डबंदी का कार्य प्रत्येक ब्लाक की आबादी के आंकड़े एकत्रित करके औसत जनसंख्यां के आधार पर की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित वार्ड नं0–5 को वार्ड नं0–6 ही रखने व जी0टी0 रोड को जान का खतरा की वजह बताना निराधार है क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति के लिये वार्डबंदी के नियमों की अवहेलना नही की जा सकती जहां तक पोलिंग बूथ बनाये जाने का सवाल है यह चुनाव आयोग के नियम व लोगों की सुविधा को देखते हुए ही बनाये जाते हैं। वार्डबंदी के लिए मनोनीत सदस्यों की कमेटी द्वारा लिए गए नियमानुसार व निर्णय अनुसार ही वार्डबंदी की गई तथा प्रार्थी की आपत्ति निराधार है।
3.	समस्त वार्ड नं0–11 निवासी	1. वार्ड को बेवजह बड़ा बनाया गया है। 2. वार्ड की बनावट बेढंगी है। 3. समालखा नगरपालिका में पंजाबी समुदाय से एक पार्षद बनता था नए वार्डबंदी से ऐसा लगता है जैसे पंजाबी समुदाय के जन प्रतिनिधि बनने से रोकने के लिए प्रयास किया गया है। 4. अगर वार्ड को कुछ बड़ा ही करना है तो बाग वाला मौहल्ला व समाज सेवा समिति रोड को हटाकर रघुनाथ मंदिर के पिछे वाला मौहल्ला जहां पंजाबी समुदाय के व्यक्ति निवास करते है इस क्षेत्र को इस वार्ड से जोड़ा जाए श्रीमान जी आप इस तरह वार्डबंदी करते हैं तो पंजाबी समुदाय के किस एक व्यक्ति को नगरपालिका में जन प्रतिनिधि बनने का अवसर मिलेगा श्रीमान जी अगर यह वार्ड बन्दी की उचित कार्यवाही नही की गई तो 2015 से 2019 तक के कार्यकाल में कोई भी पंजाबी समुदाय से पंजाबी प्रतिनिधि नही बन पाएगा।	3. वार्ड नं–11 की वार्डबंदी औसत जनसंख्यां के आंकड़ो के आधार पर की गई है जो औसत ही बनती है तथा अधिक नही है। वार्डबंदी कार्य प्रत्येक ब्लाक के आंकड़ो को एकत्रित करके तदर्थ सदस्यों की मनोनीत कमेटी द्वारा नियमानुसार वार्डबंदी की गई है। क्योंकि नगर पालिका समालखा में वार्डो की संख्या 15 से बढ़कर 17 हो गई है। वार्डो का विभाजन जनसंख्या के अधिकतम व न्यूनतम आंकड़ो व नियमों के अंतर्गत किया गया है इसमें किसी जाति व समुदाय को लाभ पंहुचाने के लिये पक्षपात नहीं करने के लिये किया गया है। अतः प्रार्थी की आपत्ति निराधार है। अतः बताई गई उपरोक्त सभी आपत्तियों को दफ्तर दाखिल किया जाना उचित बनता है।

सचिव
नगर पालिका, समालखा।